

जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति रुकने से कई उद्योग संकट में

आपूर्ति रुकने से होटल, रेस्टोरेंट सहित इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

जोधपुर, (कासं)। ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के चलते भारत में तेल, गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके चलते जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई। इससे होटल, रेस्टोरेंट सहित इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बुकिंग नहीं होने और केवाईसी नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की केवाईसी और बुकिंग करवाने के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में इंडियन गैस एजेंसी के संचालिका दीप्ति जैन ने बताया कि बुकिंग के लिए अब सभी उपभोक्ताओं को केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में बुकिंग के लिए सभी लोगों को पहले केवाईसी

■ **घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बुकिंग नहीं होने और केवाईसी नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं**

■ **घरेलू गैस सिलेंडर की केवाईसी और बुकिंग करवाने के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं**

करवानी होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सभी को सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि पिछले तीन-चार दिन से गैस सिलेंडर की बुकिंग और केवाईसी के पोर्टल पर सर्वर डाउन होने की समस्या आ रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं और एजेंसी के कर्मचारियों को भी परेशानी

का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक लाइन में लगने के चलते जहां उपभोक्ता में गुस्सा है और वे एजेंसी के कर्मचारियों से भी उलझ रहे हैं।

जोधणा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स सोसायटी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कमर्शियल गैस की सप्लाई से हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। जोधणा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स सोसायटी के अध्यक्ष जे.एम. बूब और

सचिव राजेश सिंघवी ने ज्ञापन में बताया कि जोधपुर शहर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन उद्योग के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे शहर में अव्यवस्था एवं घबराहट की स्थिति बनने की संभावना है।

सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देशित किया है कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में एलपीजी आपूर्ति करने वाली कंपनियों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन संचालकों को सूचित किया गया है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने तथा मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों के कारण वे फिलहाल

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने में असमर्थ है। ज्ञापन में बताया कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु एलपीजी की आपूर्ति नहीं मिलने के कारण होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन उद्योग गहरे संकट में आ गया है तथा इन क्षेत्रों में हजारों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है, जो इस संकट से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। एलपीजी आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में होटल रसोई का संचालन संभव नहीं रहेगा, जिससे देशी एवं विदेशी पर्यटकों को भारी असुविधा होगी तथा होटलों को संचालन बंद करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्यत: स्टाफ कैफेटेरिया में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उदयपुर : कमर्शियल सिलेंडर के संकट से पर्यटन क्षेत्र प्रभावित

उदयपुर, (कासं)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के तनाव के बाद गैस सिलेंडर को लेकर शुरू हुई मामलारी के बीच उदयपुर में गुरुवार से होटल और रेस्टोरेंट पर असर दिखने लगा है। यहां एक रेस्टोरेंट ने लंच और ब्रेक फास्ट बंद कर दिया है। इधर वीआईपी कॉलोनो में कॉमर्शियल सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग का काम

हो रहा था। डीएसओ की टीम ने छापा मारकर 6 सिलेंडर जब्त किए हैं।

गौरतलब है कि उदयपुर की ओल्ड सिटी में टूरिस्ट की परेशानियां बढ़ने लगी है। यहां पिछोला झील किनारे स्थित रेस्टोरेंट पर सीधे असर दिखने लगा है। यहां हनुमान घाट स्थित हनुमान होटल एंड रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर के संकट के चलते

सुबह का लंच और ब्रेक फास्ट बंद कर दिया है। टॉप पर जो रेस्टोरेंट है वह लंच टाईम तक सूना पड़ा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको पूरे आग्रह के साथ समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले हमने गैस की कमी को लेकर निर्णय किया और आज से लंच और ब्रेक फाॉस्ट बंद कर दिया है।

उदयपुर कलैक्टर नमित मेहता ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडरों के अवैध उपयोग और रिफिलिंग के विरुद्ध सघन जांच कार्रवाई शुरू की। अवैध रिफिलिंग की सूचना पर रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी मानसी पण्ड्या, प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. कोमल सिंह सोलंकी सहित टीम ने

सविना स्थित वीआईपी कॉलोनो में आकस्मिक जांच की। इस दौरान व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध रिफिलिंग पर 6 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी ने बताया गया कि उक्त कार्रवाई में प्रकरण दर्ज किया जाकर जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बॉर्डर एरिया में जमीनों की खरीद-फरोख्त जमीन विवाद में महिला हैड कांस्टेबल पर बंदूक तानी

बीकानेर, (निसं)। भारत-पाक सीमा के प्रतिबंधित इलाकों में जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। गुगल क्षेत्र में 7.58 हेक्टेयर यानी करीब 30 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री को कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। ऐसे कुल 53 मामले बीकानेर की विभिन्न सिविल की अदालतों में चल रहे हैं। अधिकांश में कमजोर पैरवी के चलते सरकार हार गई। अब धीरे-धीरे सभी मामले री स्टोर किए जा रहे हैं।

बॉर्डर पर जमीनें विकने का मामला वर्ष 2006 में जकार हुआ था। हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के लोगों ने 1300 बीघा से अधिक जमीन की खरीद-फरोख्त की थी। उप पंजीयकों ने आखें बंद कर रजिस्ट्रियां कर दीं, जबकि नोटिफाइड एरिया में सक्षम

■ **बाहरी लोगों को बेची थी 1300 बीघा से ज्यादा जमीन, अदालतों में 53 केस दर्ज**

अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तक नहीं किया जा सकता। क्रेताओं के पास प्रवेश की वैध अनुमति ही नहीं थी। बिना अनुमति बॉर्डर के प्रतिबंधित एरिया में प्रवेश कर जमीनें खरीदने को गलत माना गया। राज्यस् विभाग के आदेश पर सिविल न्यायालयों में उप पंजीयक, आईजी स्ट्याम, अजमेर और राज्य के वित्त विभाग की ओर से वाद दायर कराए गए। अदालतों जवाब पेश करने के लिए उप पंजीयकों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया, लेकिन समय

पर उपस्थित नहीं होने और साक्ष्य पेश नहीं करने पर ज्यादातर मामलों में सरकार हार गई। अदालतों में फाईलें खार्जि कर दी गईं। अब वे मामले वापस रिकॉर्ड पर लेकर री स्टोर किए जा रहे हैं। इनमें से तीन-चार मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं। लंबे समय बाद गुगल में जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सरकार के पक्ष में आया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीकानेर के पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर-छत्तरगढ़ तहसील के कुछ गांव, बज्जू, पूराल और खाजुवाला क्षेत्रों की सीमा से सटी जमीन को नोटिफाइड एरिया घोषित किया हुआ है। यहां पर बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ना केवल

संपत्ति अंतरण के लिए बल्कि अन्य प्रयोजन से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों/वाहनों के प्रवेश अनुमति एवं मूवमेंट्स का रिकॉर्ड संभारण आवश्यक है। जहां तक संपति अंतरण यानि खरीद फरोख्त के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय सरकार के खिलाफ होने का प्रश्न है, मेरी दृष्टि में

इसका एक कारण राजकीय अभिभाषकों पर अत्यधिक वर्क लोड है। बारीक विवेद के मामलों में संदेह का लाभ परिवादी को मिलने की संभावना अधिक होती है। पूरे मामले में विभाग की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी की सजगता भी निर्णायक होती है उन्हें हर पेशी में कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करने चाहिए, जिससे सरकारी वकील भी मजबूती से पैरवी कर सके।

फायरिंग की घटना का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

छह अवैध पिस्टल , 11 मैगजीन बरामद, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के जिला पश्चिम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना क्षेत्र के पाल रोड स्थित मंगलदीप कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा करते हुए संगठित अपराध से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने छह अवैध पिस्टल और 11 मैगजीन बरामद किये हैं। प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। मामले में दो लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। एक को अभी होश आना बाकी है। पुलिस की तरफ से हत्या प्रयास एवं आर्म एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस आयुक्त शरत कविराज, पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल, डीसीपी ईस्ट पीडी. नित्या के निर्देशानुसार व एवं एडीसीपी वेस्ट

रोशन मीणा धनाराम की त्वरित अनुसंधान निष्पादन टीम व एसीपी प्रतापनगर रविन्द्र बोथरा, एसीपी पश्चिम मंगलदीप प्रदीपलक्ष्म में फायरिंग की घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरन्त खुलासे के लिए अलग-अलग टीमे गठित की गई।

मामले के अनुसार पाल रोड स्थित मंगलदीप कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नं. 402 में फायरिंग की सूचना मिली थी। फ्लैट में छोट्टुसिंह पुत्र माधुसिंह निवासी सोलंनिया तला देवराजगढ़ व अनिल पुत्र जीवन्मय निवासी रावल नगर भदवासिया के अंदर मण्डौर रोड तथा देवेन्द्र उर्फ मनसा उर्फ मनु पुत्र पंवर सिंह निवासी जालम विलास पावड जोधपुर के बीच में फायरिंग होने से छोट्टू

सिंह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती था। अनिल को एम्स अस्पताल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के एसएसआई अनिल कुमार की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। मौके पर पुलिस ने एफएसएल और एमओबी को भी बुलाया था।

फायरिंग की इस घटना को देखते हुए घटनास्थल पर सीएसटी, डीएसटी पिस्टल व डीएसटी पूर्ब, थानाधिकारी बोरानाडा, बासनी, शास्त्रीनगर, कुड़ी भगतसाया व माता का थान आदि को लगाया गया। पुलिस की टीमों ने 10-12 जगह दक्खि दी। पुलिस ने अब संगठित अपराध से जुड़े आरोपी भाग्यदा नागौर हाल ओमनगर माता का थान निवासी देवेन्द्र सिंह उर्फ मनसा पुत्र भंवरसिंह को जालौर जिले के आहौर से

दस्ताबब किया है। आरोपी की निशादेही पर 6 अवैध पिस्टल मय 11 मैगजीन बरामद किए गए। संगठित अपराध से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

पुलिस की अब तक की जांच में पता लगा कि घायल छोट्टू सिंह गैस पाइपलाइन पर किसी ठेका कंपनी पर कार्य करता है। अनिल और गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र सिंह सीजिंग के कार्य से जुड़े हैं।

फायरिंग का कारण अब तक पहेली : पुलिस के लिए फायरिंग का कारण अब तक पहेली बना हुआ है। फायरिंग किस बात को लेकर हुई इस पर पुलिस ने अब तक चुप्पी साध रखी है। कोई पुराना विवाद होने का भी संदेह जताया जा रहा है। घायल अनिल के होश में आने पर आगे खुलासे की उम्मीद है।

बाधिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया

बाधीन एसटी-17 इससे पूर्व भी शावकों को जन्म दे चुकी है

अलवर, (निसं)। बाधिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। इससे सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सहारण ने बताया कि बाधिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का बाघ परियोजना के रेंज अकबरपुर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप चित्रों एवं भू गश्त के आधार पर इन शावकों की पुष्टि की गई है। बाधिन एसटी-17 के साथ तीनों शावक कैमरा ट्रैप में स्पष्ट

रूप से दिखाई दिए हैं तथा बाधिन व शावकों की गतिविधि सामान्य पाई गई है। संबंधित बाघ मॉनिटरिंग दल को बाधिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखने के निर्देश दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि बाधीन एसटी-17 इससे पूर्व भी शावकों को जन्म दे चुकी है तथा यह उसकी दूसरी सफल प्रजनन घटना है। इन तीन नवजात शावकों के जन्म के साथ सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

■ **चूरू (कासं)।** विधायक हरलाल सहारण फर्जी टीसी प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार को होगी। चूरू विधायक हरलाल सहारण पर दसवीं की फर्जी मार्कशीट के लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्ष 2019 में पूर्व सरपंच चिमनाराम कालेर ने हरलाल सहारण पर उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड से फर्जी दसवीं की अंकतालिका लेकर चुनाव लड़ने का मामला दर्ज करवाया था, जो वर्तमान में सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है।

ज्ञानकारी के अनुसार उक्त मामले में उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड के वर्तमान सचिव व पूर्व में रहे सचिव

■ **चूरू विधायक हरलाल सहारण पर दसवीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है**

की गवाही होनी थी लेकिन वे न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए, जिसके पश्चात एसीजेएम नवदीप गोदारा ने उक्त दोनों के खिलाफ पहले जमानती वारंट तथा उसके बाद गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय

में हाजिर होने के लिए आदेश जारी किया बताया, जिसमें चूरू कोतवाली में कार्यरत एसआई किशनाराम बिश्नोई व एसएसआई मनोज कुमार ख्योरान न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए उत्तराखंड गए बताए, लेकिन आदेशों की अनुपालना करवाने में असमर्थ सिद्ध हुए। न्यायालय द्वारा दो बार जमानती वारंट व गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पश्चात भी उत्तराखंड बोर्ड के सचिव व पूर्व सचिव का न्यायालय में उपस्थित ना होना आश्चर्य की बात है। शुक्रवार को सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर सुनवाई होगी।

दुष्कर्मों को 20 साल की सजा सुनाई

जालोर, (कासं)। पॉक्सो न्यायालय जालोर की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने नाबालिंग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार पीड़िता की माता ने 18 सितंबर 2024 को पुलिस थाना आहौर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि परिवारिया अपने पति, पुत्र व पुत्री के साथ करीब चार माह पूर्व मूर्ति बनाने के कार्य के लिए आंध्रप्रदेश गये थे। पीछे घर पर अन्य तीन पुत्रियां पीड़िता को दादा-दादी, बड़े पापा के पास छोड़ गए

नौ किलो अवैध गांजा पकड़ा

टोंक, (निसं)। अति. पुलिस अधीक्षक कमल प्रसाद के निदेशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बुधवार देर रात्रि को पुलिस थाना नगरफोर्ट क्षेत्र के बालागढ़ सतवाडा गांव में छापामार कर आरोपी जंसी मीणा पुत्र छोट्टू लाल मीणा निवासी बालागढ़ के मकान से उसकी मोटरसाइकिल से करीबन नौ किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है।

इस दौरान आरोपी मौके से फरार था। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना नगर फोर्ट पर एनडीपीएएम में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। डीएसटी ने बताया कि आरोपी काफी समय से चाड़, नगरफोर्ट, दूनी व नैनवा इलाके में गांजे की सप्लाई करता था। सूचना के बाद टीम ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, करीबन 4.30 लाख रुपए कीमत का करीबन 9 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, एक पल्सर मोटरसाइकिल, आरोपी का भी मोबाइल जब्त किया गया है।

महिला हेड कांस्टेबल व उसके साथ गए दो-तीन अन्य लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था, पुलिस थाने में मामला दर्ज

था। उन्हें दीवार तोड़ने और ईंटें चोरी करने की शिकायत की तो बिरजू व उसके परिवार के लोगों ने मारपीट की कोशिश की और वर्दी फाड़ दी। हेमसिंह, अनिल व रामेश्वरसिंह को बुला लिया। कुलदीप उर्फ हेमसिंह ने बंदूक तान दी। महिला हेड कांस्टेबल व उसके साथ गए दो-तीन अन्य लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच एसएचओ विक्रम तिवारी करेंगे।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से कुचला जाने पर

अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी

माछला मगरा सेक्टर 14 निवासी दिपकसिंह (32) पुत्र सदारसिंह राणावत की मौत हो गई। दीपक प्राइवेट नौकरी करता था एवं रात में बाइक पर अपने साथियों के साथ जा रहा था, जहां से अचानक प्रतापनगर डबोक रोड की तरफ जाते समय हादसा हो गया। सूचना मिलने पर हैड कांस्टेबल नरेन्द्रसिंह ने मौके पर पहुंचकर उसे चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर हैड कांस्टेबल नवलसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिवजों को सौंप दिया।

थे। उनके देशावर जाने के कुछ दिन बाद परिवारिया की नाबालिंग पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र14 वर्ष है, अपनी छोटी बहिन के लिए रोटी लेने अपने बड़े पापा के घर गई, जहां पर लड़का विक्रम कुमार पुत्र रमेश कुमार घर पर था, अन्य कोई नहीं था। जैसे ही पीड़िता रोटी लेने लगी तो विक्रम ने पीड़िता से बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई तो बड़े पापा व बड़ी मम्मी आई तो उनको बात बताई। इतने में विक्रम वहां से भाग गया। इसके बाद लालागढ़ा घर पर कोठी नहीं होने पर जबरन अनाधिकृत रूप से घर में आकर जबरन दुष्कर्म करता, राजपुरोहित ने की।

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर	
File No:- 1037	Date:-05-03-2026
Notice Inviting Bid	
Bids For Procurement of Development Drinking Water Facility work (Name (s) Of Subject Matter (s) Of Procurement) Are Invited From Interested Bidders Upto 06-00 P.M. (Time) 16-03-2026 (Date). Other Particulars Of The Bid May Be Visited on the procurement portal the (http://eproc.rajjasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of state; and www.wcd.rajjasthan.gov.in department website. The approximate valu of the procurement is Rs 54.40 LAKH. UBN No.ICD2526WSOB082029 NIB NO.ICD2526A1502	
(Bhoopesh Garg) Deputy Director/ Women and Child Development Department Dholpur (Raj)	
DIPR/C/4959/2026	

राजस्थान सरकार	
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	
क्रमांक-ए.जी.एच./ लेखा (कम्यु)2026/8352	दिनांक :- 11/03/2026
ई-बोली आगवहन सूचना (E-NIB No. 23/2025-26)	
बी.बी.एच. चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल आईटम क्रय (2 वर्ष) हेतु आमंत्रित निविदा (लेहरी लिफ्ट पद्धति) में इच्छुक बोलीदाता दिनांक 12.02.2026 से 18.03.2026 सांय 06:00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं। बोली आगवहन सूचना की चरमपूरवीं हर्तें एवं पूर्ण विवरण "http://eproc.rajjasthan.gov.in" तथा "http://sppp.rajjasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है। ई-बोली की कुल अनुमानित लागत 70 लाख है।	
UBN No. :-MCB2526GLRC00304	चिकित्सा अधीक्षक प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
DIPR/C/5327/2026	

कार्यालय उप निदेशक, उद्यान, आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमसी (धौलपुर)

निविदा सूचना	
आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी (धौलपुर) पर विभिन्न कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा सम्बन्धित सूचना, विवरण, शर्तें व प्रपत्र आदि पोर्टल Eproc.rajjasthan.gov.in & sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। UBN No. -HOR2526SLRCC000221 & HOR2526WSOB00223, Tender ID-2026_HORTI_543885_1	
(कृष्ण कुमार) उप निदेशक उद्यान आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी	
DIPR/C/5105/2026	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.,खण्ड धौलपुर

क्रमांक:-7260-7267

संशोधन - पत्र

दिनांक:- 10. 02.2026

आर.ओ. नं० 1231 दिनांक 23.01.2026

इस कार्यलय के पत्रांक 6911-27 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 15/2025-26, जो दिनांक 21.01.2026 से 10.02.2026 सांय 6.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 11.02.2026 को खोली जाने वाली निविदा अपरिहार्य कारणों से अब दिनांक 17.02.2026 तक बेची जाकर दिनांक 18.02.2026 को सांय 04.00 बजे खोली जावेगी। निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

NIB Code PWD2526A5223

UBN No. PWD2526WSOB21232

DIPR/C/3142/2026

(नरेश चन्द मीणा)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PHED DIVISION KARAULI

PH NO.-07464-250219

E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for transportation of water through tanker under Division Karauli are invited from interested bidders up to 09.03.2026 other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc.rajjasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.

NIB CODE:-PHE2526A6919

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
1	16/9/2025-26	PHE2526 WSOB14946	2	17/02/25-26	PHE2526 WSOB14947
01	Total work		02		
02	Total Estimate Cost		40.00 Lac		
03	Bid submission end date		09.03.2026 up to 12.00 PM		
04	Bid opening date		09.03.2026 at 04.00 PM		

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

DIPRC/49102/2026

DIPR/C/4910/2026	
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड सांचौर	
एच.एच. 68, PHED Campus, सांचौर (जालोर)	
Te. Ph. No 02979-283624	E-mail:- eephedscr@gmail.com
क्रमांक: अ.अ./ जन स्वा./ सां / निविदा/2025-26/1757	दिनांक:- 05/03/02

निविदा सूचना संख्या - 18/2025-26	
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सांचौर के अधीन स्थित कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विकरण निम्नानुसार है:-	
कार्यालय का नाम व स्थान	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य	Annual Rate contract for Transportation of water. (Block Sanchore and Chitalawa)
निविदा की कुल लागत (राशि लाख में)	कुल निविदा 19 रु. 250.00 लाख
निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सर्बमि्ट की दिनांक	05.03.2026 से 18.03.2026 को 13.00 बजे तक
निविदाई खोलने की तिथी व समय	19.03.2026 को 15.00 बजे से
UBN No	PHE2526WSRC15210, PHE2526WSRC15211, PHE2526WSRC15212 PHE2526WSRC15213, PHE2526WSRC15214, PHE2526WSRC15215 PHE2526WSRC15216, PHE2526WSRC15217, PHE2526WSRC15218 PHE2526WSRC15219, PHE2526WSRC15220, PHE2526WSRC15221 PHE2526WSRC15222, PHE2526WSRC15223, PHE2526WSRC15224 PHE2526WSRC15225, PHE2526WSRC15226, PHE2526WSRC15227 PHE2526WSRC15228
निविदा से संबंधित समस्त विकरण वेबसाईट http://sppp.rajjasthan.gov.in एवं http://dipr.rajjasthan.gov.in http://eproc.rajjasthan.gov.in पर देखा एवं भरा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाईट पर ही अपलोड किये जायेंगे।	
(पृथ्वीसिंह) अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड सांचौर	
DIPR/C/5001/2026	